

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपरवण्ड अधिकारी मुकाम डोडामी व  
 इजलास पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य R. N. S.

## उनवान

पोच्या पुत्र धेन्या  
 धोलनी पाल्मे धर्म सिंह  
 गुलवती पाल्मे हरि प्रसाध  
 नाति मीना निवासी  
 इला खालसा तहसील  
 डोडामी जिला करौली

**बनाम**

(1) काव्जी पुत्र धेन्या सभस्त  
 (2) गुन्शी पुत्र काव्जी जाति  
 (3) बाबू पुत्र काव्जी मीना  
 (4) रुमा पाल्मे मुंशी  
 निवासी पाड़ला खालसा  
 तहसील - डोडामी जिला  
 करौली

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा  
धारा (188) अन्तर्गत

मुकदमा नं० 81 सन् 2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री सुरेश चन्द शर्मा A. N. व हाजिरी  
देवेन्द्र कुमार शर्मा A. N. मिनकानिब गुदई रुबरु हमोर

नेब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी ग्राम पाड़ला  
 को भूमि ख. नं. 1437 रकबा 0.29, 1438 रकबा 0.30, 1439 रकबा  
 0.30, 1440 रकबा 0.01, 1441 रकबा 0.31 हे कुल कित्ता 5 कुल रकबा  
 1.30 हे के कल्ले काइत वादीगण में मजाहमत मुदायलत न करे  
 सायलान को बदखल कर खय कल्लान करे ना ही किसी अन्य  
 से करवे।

मुबलिंग

बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

शरह

का अदा करे।

मुहर अदालत के आज तारीख

23 माह 2 सन् 2016



मुहर

दस्तखत अपजिला कलक्टर  
 ओहदा डोडामी (करौली)

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा	/	/	स्टाम्प अर्जी दावा	/	/
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
नामा वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
मीजान					